

D-68

जप्ती पत्रक

एओउ अ.प्र. क्र. 9/15

दिनांक व समय जप्ती

जप्ती स्थान

किसके द्वारा पेश करने पर

उपस्थित नॉन के अधिकारी का नाम

जप्तकर्ता अधिकारी

जप्ती साक्षी

- 20.02.2015 के 15.00 बजे
- एस.डब्ल्यू.सी. का गोदाम कमाक-8 बिल्हा, जिला बिलासपुर छ.ग.।
- श्री राकेश कुमार पाण्डेय पिता श्री जी.पी. पाण्डेय उम्र 50 वर्ष, शाखा प्रबंधक एस.डब्ल्यू.सी. बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
- श्री प्रभाकर शुक्ला पिता श्री रामावतार शुक्ला उम्र 46 वर्ष, सहायक नागरिक आपूर्ति निगम बिल्हा, मुख्यालय बिलासपुर, (छ.ग.)
- निरीक्षक अजितेश सिंह एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
- (1) श्री विनय कुमार दीक्षित पिता स्व. श्री ठाकुर प्रसाद दीक्षित उम्र 58 वर्ष, प्रबंधक क्वालिटी कंट्रोल एफ.सी.आई. बिलासपुर (छ.ग.)
(2) श्री इस्तियाक अहमद पिता श्री मुस्ताक अहमद उम्र 28 वर्ष, तकनीकी सहायक क्वालिटी कंट्रोल बिलासपुर (छ.ग.)

विवरण

आज दिनांक 20.02.2015 को उक्त समय पर एस.डब्ल्यू.सी. बिल्हा के गोदाम कमाक-8, बिल्हा, में नॉन द्वारा संग्रहित अमृत नमक के पैकेट जो कि गोदाम के स्टेक नंबर -3 में रखे हुए हैं में से चारों कोनों से एक-एक अमृत नमक के पैकेट का सेम्पल निकाला गया। जिसमें छत्तीसगढ़ अमृत नमक पैकिंग माह 1/2015 बैच नंबर 01, नेट वेट 1 कि.ग्रा. लिखा हुआ है। उक्त निकाले गये सेम्पल पैकेटों में से दो-दो पैकेट को कपड़े के दो अलग-अलग थैलों में डालकर साक्षियों के एवं स्वयं के हस्ताक्षर वाली पर्ची को थैले में डालकर उक्त साक्षियों के समक्ष उक्त दोनों थैलों को शाखा प्रभारी श्री राकेश कुमार पाण्डेय के द्वारा पेश किये जाने पर जप्त कर सीलबंद किया गया।

हस्ताक्षर साक्षी

(1)

जिसके द्वारा पेश किया गया

नॉन के अधिकारी का

हस्ताक्षर

जप्तकर्ता

(2)

निरीक्षक (ए.सी.आई.)
बिलासपुर (छ.ग.)